न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व वाद पत्र सं0 57/2009

श्री माना पुत्र श्री भीया जाति रावत निवासी देवपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर

—— वादी

बनाम

1. भेरू पुत्र लाडू
2. छोटू पुत्र लाडू (फोत)
   1/2 सीता पत्नि स्व0 छोटू
3. गोपी पुत्र डूंगा
   1/3 नेनी पुत्री गोपी
4. बालू पुत्र डूंगा
5. फून्दी पत्नि स्व0 डूंगा
   1/5 कोया पुत्री डूंगा
   2/5 गीता पुत्री डूंगा
6. रामा पुत्र लक्ष्मण
7. बीरम पुत्र लक्ष्मण
8. देवी सिंह पुत्र लक्ष्मण
9. हरिकिशन पुत्र लक्ष्मण
10. हिम्मत सिंह पुत्र लक्ष्मण
11. छोटू पुत्र लक्ष्मण
12. हीरी पत्नि स्व0 लक्ष्मण
13. प्रेमा पुत्र गोमा
14. राजू पुत्र धन्ना
15. मूमी पत्नि अणदा
16. छगना पुत्र काना
17. लादू पुत्र काना
18. बीरम पुत्र काना
19. घीसा पुत्र किसना
20. भोमा पुत्र किसना
21. घीसा पुत्र पन्ना
22. भज्जा पुत्र पन्ना
23. काना पुत्र पन्ना
24. मगना पुत्र अन्ना
25. उकार पुत्र अन्ना
26. अमरा पुत्र हरचन्दा
27. बहादुर पुत्र हरचन्दा
28. कैलाश पुत्र हरचन्दा
29. हरजी पुत्र हजारी
30. उरजा पुत्र हजारी
31. जोरा पुत्र हजारी
32. मगना पुत्र हजारी
33. जेठू पुत्र घीसा
34. केशी पत्नि स्व0 घीसा
35. मगना पुत्र पेमा
36. लाली पत्नि स्व0 पेमा
37. लाडू पुत्र मोती
38. हजारी पुत्र कल्ला
39. झमरी पत्नि स्व0 काना
40. हरजी पुत्र मल्ला
41. नंदा पुत्र मल्ला

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

42. लाला पुत्र मल्ला
43. अन्नी पत्नि सरदारा
44. कमला पत्नि पांचू
45. रामदेव सिंह पुत्र कान सिंह
46. बदामी पत्नि मगना
47. सीता पत्नि जेठू
48. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर।

----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:- निर्णय :-

दिनांक 30.09.2016

प्रकरण में विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26.05.2011 को जारी की गई। जिस पर बटवारा प्रस्ताव तहसीलदार मसूदा पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम देवपुरा भू. अ. नि. क्षेत्र एवं तहसील मसूदा जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 के खाता सं0 92 कुल खसरा किता 6 रकबा 04–15–00 बीघा व खाता सं0 132 खसरा न0 13/1 रकबा 03–10–00 बीघा व खाता सं0 133 खसरा न0 213 गै. मु. चाह व खाता सं0 134 खसरा न0 13/2 व खाता सं0 137 खसरा न0 461 गै. मु. चाह तथा खाता सं0 91 कुल खसरा किता 7 रकबा 06–07–10 में से वादी माना ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया है। अब उसका हिस्सा केवल मात्र अराजी खसरा न0 346 रकबा 01–19–00 व 347 रकबा 02–00–00 बीघा एवं चाह न0 461 रकबा 00–03–00 में विद्यमान है। इस पर वादी माना के शेष रहे हिस्से का बटवारा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है :-

1. वादी माना वल्द भीया जाति रावत निवासी देवपुरा	2. प्रतिवादीगण प्रति. 1/3 नेनी पुत्री गोपी प्रति. 4 बालू पुत्र डूंगा प्रति. 1/2 सीता पत्नि स्व0 छोटू व प्रति. 1/5 कोया 2/5 गीता पुत्रियां डूंगा व प्रति. 33 जेठू पुत्र घीसा 34 केसी पत्नि स्व0 घीसा 35 मगना पुत्र पेमा 36 लाली पत्नि स्व0 पेमा 46 बदामी पत्नि मगना 47 सीता पत्नि जेठू	3. प्रतिवादीगण प्रति. 37 लाडू पुत्र मोती 38 हजारी पुत्र कल्ला प्रति. 14 राजू पुत्र धन्ना 39 झमरी पत्नि स्व0 काना 15 मूमी पत्नि स्व0 अणदा प्रति. 21–23 क्रमशः घीसा, भज्जा व काना पि. पन्ना व प्रति. 26–28 क्रमशः अमरा, बहादुर, कैलाश पि. हरचंदा प्रति. 24, 25 क्रमशः मगना, उकार पि. अन्ना प्रति. 1 भेरू पुत्र लाडू व 1/2 सीता पत्नि स्व0 छोटू प्रति. 40–42 क्रगशः हरजी, नंदा व लाला पि. मल्ला प्रति. 45 रामदेव सिंह पुत्र कान सिंह व वादी माना पुत्र भीया	4. प्रतिवादीगण प्रति. 46 बदामी पत्नि मगना 47 सीता पत्नि जेठू वादी माना पुत्र भीया 2/3 हि. प्रति. 1/3 नेनी पुत्री गोपी व बालू पुत्र डूंगा 1/2 हि. प्रति. 35 मगना पुत्र पेमा 36 लाली पत्नि पेमा प्रति. 33 जेठू पुत्र घीसा 34 केसी पत्नि स्व0 घीसा 1/2 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

1			2			3			4		
ख0न0	रकबा	किस्म	ख0न0	रकबा	किस्म	ख0न0	रकबा	किस्म	ख0न0	रकबा	किस्म
215/1	2.04.18	बा.1	215	4.02.12	बा.1	461	0.03.00	गै.मु. चाह	213	0.03.10	गै.मु. चाह
	लगान	1.12	346	1.19.00	बा.1						
			347	2.00.00	बा.2						
			212	3.03.00	बा.1						
			4	11.04.12	लगान 5.64						

मौका पर्चा में अवगत करवाया गया है कि वादी माना के हिस्से की अराजी खसरा न0 215/1 एवं चाह के हिस्से पर किसी का कब्जा नहीं है। वादी माना पुत्र भीया की मृत्यु दिनांक 19.06.2014 को हुई है उसके वारिसान बाबत् उसका एक पुत्र गोगा था जो अविवाहित फोत हो गया और पुत्री कहीं नाते चली गई उसका 30 वर्षों से कोई अता पता नहीं है बाबत् एक संयुक्त पर्चा सरपंच, ग्राम पंचायत देवमाली तथा भू. अ. निरीक्षक नंदवाडा पेश किया है।

वकील वादी को सुना गया। बटवारा प्रस्ताव से सहमत है लेकिन लडकी के हक आरक्षित करने का निवेदन किया। लडकी बाबत् किसी सूत्र से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और ना ही वकील वादी उपलब्ध करवा पाये हैं।

अतः वाद पत्र पर इसी स्तर पर वादी के पुत्री के अधिकार कायम रखते हुए कार्यवाही ड्रोप की जाती है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी होकर मिसल फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

सुरेश चावला
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.20 11:28:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: